Contracts Awarded by CPWD R K Puram

608. SHRI RAJ NATH SINGH: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the number of contracts which have been awarded by the CPWD, Sectors VII and XII R. K. Puram, New Delhi from November, 1993 to November 1994 Centre-wise;

(b) what is the nature of work asigned alongwith the amount allocated workwise;

(c) what is the maximum time limit fixed within which work was to be completed;

(d) what is the number of work pending completion and for how long, workwise details thereof;

(e) what is the status of the officer who finally undertakes the inspection of the work done by the contractors and ereafter passes the amount for final yment to the contractors; and

(f) what action Government propose take against the CPWD officers contractors responsible for delayed completion of work?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI P. K. THUNGON): (a) The total number of contracts are as under:—

	Civil	Elect.
Sector—7 R. K. Puram	32	15
Sector—12 R. K. Puram	55	15
TOTAL .	87	30

(b) to (d) The details are being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

(e) Executive Engineers, CPWD concerned.

(f) The execution of almost all works in question have been started and progressing without any serious delay. Hence no action is proposed to be taken against the CPWD officers. However, action against the contractor wherever there has been delay in completion of work, would be taken as per the terms and conditions of the agreement.

आर०के० पुरम में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा

609. **श्री राजनाथ सिंह :** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर.के.पुरम, सैक्टर 7 और सैक्टर 12 में स्थित मार्किट, सेन्ट्रल पार्क और उसके आस-पास हुए अनधिकृत कब्जे के संबंध में कोई कार्यवाही की गई है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकारी जमीन पर प्रयोगशाला तथा मिट्टी के तेल के डिपो इत्यादि के लिए अनधिकृत कब्जा किया गया है ;

(घ) यदि हां, तो क्या नियमों के अनुसार इसकी अनुमति है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुगन) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

नानकपुरा में सरकारी क्वाटरों में पानी की कमी

610. **श्री संघ प्रिय गौतम :** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली के नानकपुरा क्षेत्र मे सरकारी क्वार्टरों के आबंटितियों को भूमितल और प्रथम तल पर पानी नहीं मिल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस संबंध मे विस्तृत तथ्य क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

Sanitary conditions in Nanak Pura, New Delhi

611. SHRI NARESH YADAV: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that sanitary conditions in Government colonies, particularly in G—Block Nanakpura, New Delhi deteriorate during the rainy seasons;

(b) whether Government are aware that due to inadequate drainage system in G-Block, Nanakpura, New Delhi all the rain water from the main road floods into the colony and also into the adjoining primary school; and

(c) if so, what effective measures CPWD authorities have been or propose to take to solve this recurring problem?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI P. K. THUNGON): (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha

आवास सरकार योजना

612. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अस्सी के दशक में आवास सरकार योजना आरंभ की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण है ;

(ग) किसी श्रेणी के पंजीकृत व्यक्ति उक्त योजना का सदस्य बनने के पात्र थे;

(घ) योजना किस सीमा तक सफल हुई, यदि सफल नही हुई, तो इसकी विफलता के क्या कारण हैं ;

(ङ) क्या न्यू पैटर्न स्कीम के अंतर्गत पंजीकृत व्यक्ति ही इस योजना का सदस्य बनने के लिए पात्र थे और स्व-वित्त योजनाओं के अंतर्गत पंजीकृत व्यक्ति इस योजना का सदस्य बनने के पात्र नहीं थे; और

(च) यदि हां, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा स्व वित्त योजनाओं की बजाय न्यू पैटर्न स्कीम, 1979 के पंजीकृत व्यक्तियों को पात्रता दिए जाने के क्या कारण हैं और इस गलती को सुधारने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं, यदि कोई कदम नहीं उठाया गया है, तो उसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (च) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि न्यू पैटर्न पंजीयन योजना, 1979 के निम्न आय वर्ग/मध्य आय वर्ग के पंजीकृत व्यक्तियों में से सहकारी समूह आवास समितियों के गठन के लिए वर्ष 1988 में आवास साकार योजना लागू की गई थी । यह स्वैच्छिक योजना केवल न्यू पैटर्न योजना, 1979 में पंजीकृत किन्तु शेष व्यक्तियों/आवेदकों को शीघ्र मकान देने के लिए लागू की गई थी ।

इस योजना के प्रति संतोषजनक अनुकूलन उत्तर नही मिला । योजना में पंजीकृत 9 समितियों में से 6 समितियों को द्वारका/पपनकलां में प्लाट आबंटित कर दिए गए हैं ।